


(म०प्र०)

79



R. 3453-11/14

शिवप्रसाद त्रिपाठी तनय निर्भयनाथ त्रिपाठी उम्र 48 वर्ष निवासी

आवेदक अभिमाषक  
श्री क.ए.पी. मिश्रा एडवोकेट  
वाराणसी 18.9.14

ग्रा०पो० चोरमारी तहसील रामपुर बाघेलान जिला सतना म०प्र० .....

.....आवेदक/निगराकार

बलक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर  
(सर्किट कोर्ट) रीवा

बनाम

मध्य प्रदेश शासन ..... गैरनिगराकार

562  
18.9.14

आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं०

1959 विरुद्ध आदेश तहसीलदार रामपुर

बाघेलान प्रथम निगरानी प्रकरण क्र०

38ए68/2003-04 पारित आदेश दिनांक

25/08/2014 शासन म०प्र० बनाम सूर्यबली

सिंह बगै० एवं अधिनस्थ कोर्ट का रिकार्ड

तलब कराया जाय

क्रमांक 3233  
रजिस्ट्रार पोस्ट  
18.9.14

बलक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

मान्यवर,

आवेदक/निगराकार- निगरानी प्रस्तुत कर सादर

विनयी है :-


- 1: यह कि आवेदक/निगराकार ग्राम चोरमारी तहसील रामपुर बाघेलान का पुस्तैनी निवासी है ।
- 2: यह कि आवेदक निगराकार के पिता ने लगभग 50 वर्ष पूर्व

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 3453-III/14

जिला- सतना

पक्षकार का नाम शिवप्रसाद निपाणी / शासन (म-प)

(1)	(2)	(3)
27.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2-आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	